विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची–2013

अप्रैल–2013

शिक्षा विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)25/11	श्री केदार नाथ, ग्राम–चिपरी, थाना गोमियां, जिला–बोकारो को सहयोगी शिक्षक के रूप में चयन के पश्चात भी अनुमोदन नहीं होने के संबंध में ।	02.04.2013	दोनों पक्षों के सुनने तथा प्राप्त प्रतिवेदनों के अवलोकनोपरान्त परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप अनुचित है तथा ग्राम शिक्षा समिति के मिटिंग की कार्यवाही में अनुचित ओवर राईटिंग संदेह उत्पन्न करता है ।अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)12/12	झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह मे कार्यरत सामुदायिक शिक्षकों को बतौर पारा शिक्षक समायोजित नहीं किये जाने के संबंध में श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, बगोदर का शिकायत ।	03.04.2013	जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दोनो पक्षों के सुनवाइ के बाद परिवादी का आरोप निराधार पाया गया तथा किसी भी समुदायिक शिक्षक को पारा शिक्षक के रूप में समायोजन नहीं किया गया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(शिक्षा)11/12	कुमारी अनिता पारा शिक्षिका उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हेसला बगोदर को नियुक्ति के समय से मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	03.04.2013	परिवादी के मानदेय का भुगतान करने के लिए पूर्व में ही उचित फोरम द्वारा आदेश पारित किया जा चूका है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(शिक्षा)05/2011	जिला शिक्षा अधीक्षक गोड्डा द्वारा विभागीय नियमों तथा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विपरीत पक्षपात पूर्ण तरिके से प्रोन्नति देने के संबंध में ज्योति चन्द्र साह एवं अन्य शिक्षक गण का परिवाद ।	04.04.2013	प्राथमिक शिक्षा निदेशक, झारखण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये अवैद्य प्रोन्नति का आरोप निराधार पाये जाने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(शिक्षा)16/11 एवं 01/लोक(शिक्षा)15/11	श्री नसीम अनवर द्वितीय शिक्षा बंधु, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, केशरगढ़, मधुपुर जिला देवघर के जाली प्रमाण पत्र के संबंध में महेन्द्र दास एवं अन्य को परिवाद ।	04.04.2013	जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई

				बन्द कर दिया गया ।
6.	02 / लोक(शिक्षा)03 / 09	श्री प्रसादी दास सेवानिवृत शिक्षक प्राथमिक विद्यालय जयन्तीग्राम अंचल थाना थाना मधुपुर जिला देवघर का वर्ष 1971–74 तक का भविष्य निधि कटौती का भुगतान जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में।	04.04.2013	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण के पश्चात परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतरे कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	01 / लोक(शिक्षा)25 / 2012	अवर विद्यालय निरीक्षक राँची, 2 तथा प्रधानाध्यापिका राजकीय बी.एम.सी. मध्य विद्यालय सिठियों राँची पर मध्याहन भोजन में अनियमितता के संबंध में जैनब खातुन, अध्यक्ष ग्रम शिक्षा समिति का परिवाद ।	09.04.2013	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लगाये गये आरोप सत्य नहीं पाया गया तथा परिवादी द्वारा जांच प्रतिवेदन पर अपनी सहमति जताये जाने के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
8.	02 / लोक(शिक्षा)22 / 12	स्व0 चन्द्रचूड़ प्रसाद सिंह भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, आन्ध्रा एसोसिएशन का पंचम पुनरीक्षित वेतनमान में वरीय वेतनमान एवं पेंशन निर्धारण के संबंध में राजीव कुमार का परिवाद ।	16.04.2013	माननीय लोकायुक्त के नोटिस के बाद परिवादी के परिवाद का समाधान हो गया तथा दोषी लोक सेवकों के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने तथा भविष्य दुबारा न करने के आशवासन के पश्चात परिवाद माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।
9.	02 / लोक(शिक्षा)16 / 08	श्री संतोष कुमार गुप्ता को अपने पिता स्व0 अवधेश साह भूतपूर्व सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय उरमा(निरसा) धनबाद का सेवा काल में मृत्यु के फलस्वरूप अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के संबंध में ।	30.04.2013	संयुक्त सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आवेदन को जिला अनुकंपा समिति द्वारा अहर्त्ता पुरा नहीं करने के कारण रद्द कर दिया गया । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद का दिया गया ।

स्वास्थय विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(स्वा.)05 / 12	डॉ0 वैद्यनाथ झा सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी तालझड़ी साहेबगंज को ए. सी. पी. एवं उत्क्रमित वेतनमान नहीं मिलने के संबंध में ।	04.04.2013	परिवादी को द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ विभाग द्वारा ए.सी.पी. योजना लागु होने के पश्चात प्रदान कर दिया गया । अतः परिवादी के परिवाद का निराकरण के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02 / लोक(स्वा0)04 / 12	श्री गतियन टोपनो बोकारो से बोकारो जिला स्वास्थ्य विभाग में वयाप्त भ्रष्टाचार के संबंध में	03.04.2013	परिवादी के स्व0 पत्नि ए.एन.एम मेरी हेरेन्ज के बकाया वेतन तथा विलंब के कारण उस पर उचित

		शिकायत ।		ब्याज माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के पश्चात भुगतान संबंधि विभाग द्वारा कराया गया । अतः परिवाद के निराकरण के बाद बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व)251/2005	श्री वैद्यनाथ लाल दास, सेवानिवृत मोहर्रिर, दुमका बन्दोबस्त कार्यालय दुमका का पेंशन रूपान्तरण के संबंध में ।	29.04.2013	उपायुक्त दुमका से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, महालेखाकार झारखण्ड राँची से प्राप्त कार्रवाई प्रतिवेदन तथा सिविल सर्जन दुमका को निर्गत सो–काउज के प्राप्त उत्तर के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त प्रतिवेदनो के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व)11/12	जमीन के नामान्तरण के विरूद्ध श्री राजगोबिंद सिंह बरमसिया गिरीडिह का परिवाद ।	14.05.2013	उपायुक्त गिरीडिह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथ परवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादी के परिवाद के निराकरण के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)10/2011	राजबालक सिंह सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी , सारवॉं के सेवापुस्त एवं पेंशन प्रपत्र का मूल प्रति गायब हो जाने के सबंध में तथा सूचना अधिकार के तहत जानकारी लेने के संबंध में ।	09.04.2013	अंचलाधिकारी सारवॉं से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार पविादी के परिवाद का निराकरण हो गया । उक्त के आलोक मे परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(राजस्व)09/12	लगान निर्धारण कर(दाखिल खारिज) रसीद नहीं देने के संबंध में श्री किशोरी मोहन वर्मा , लोअर बाजार राँची का परिवाद ।	09.04.2013	अंचलाधिकारी सदर राँची से प्राप्त रिपोर्ट तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा कर दिया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

सहकारिता विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(सहकारिता)04/11	श्री विनय कुमार रावत, सदस्य सचिव, चाईबासा लैम्पस, चाईबासा के लंबित भुगतान एवं अन्य दावों के संबंध में ।	04.04.2013	उपायुक्त चाईबासा से प्राप्त जांच प्रतिवदेन के आलोक में परिवादी को सभी देय पावनाओं तथा दावों का भुगतान कर दिया गया है तथा परिवादी का आरोप गलत है । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

पुलिस विभाग

क्रम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पुलिस)31/2012	मुकदमा वाद सं.66/2012 द्वारा परिवादी पर झूठा मुकदमा दर्ज करने के संबंध में श्री गोपाल प्रसाद मंडल सिमडेगा का शिकायत ।	10.04.2013	पुलिस अधीक्षक साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी के परिवाद पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है तथा जांच प्रक्रियाधीन है अतः परिवाद पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप की अवश्यकता नहीं है ।
2.	02/लोक(पुलिस)19/2011	नरेन्द्र कुमार अम्बषठ सेवानिवृत, लेखोतीर्ण लिपिक का पेंशन लम्बित रहने के संबंध में शिकायत ।	04.04.2013	परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार लम्बित पेंशन का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया । अतः परिवाद के निराकरण के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक (पुलिस)18/12	कुण्डा थाना काण्ड सं. 3/2011 दर्ज होन के बावजूद भी अभियुक्त को गिरफतार नहीं करने के संबंध में श्री भागू तुरी देवघर का शिकायत ।	04.04.2013	पुलिस अधीक्षक देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का नाम व पता गलत पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बन्द का दिया गया ।

परिवहन विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(परिवहन)03 / 06	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभ के भुगतान को करने के संबंध में ।	03.04.2013	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लेखापाल के द्वारा माननीय लोकायुक्त के न्यायालय को सूचित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

विविध विभाग

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02 / लोक(विविध)09 / 11	श्री इन्द्र देव मंडल, चतरा अनुमंडल पदाधिकारी के विरूद्ध श्री आदित्य प्रसाद यादव ,अधिवक्ता लाईन मोहल्ला, ग्वालाटोली, चतरा से प्राप्त शिकायत ।	25.04.2013	उपायुक्त चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

शिकायत /परिवाद

अप्रैल–2013

कम सं0	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं. 70 / 2013	फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर गृह रक्षा वाहिनी के पद पर नियुक्त होने के संबंध में कृष्ण कुमार, रामगढ़ का शिकायत ।	04.04.2013	गृह रक्षा वाहिनी नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।

2.	शिकायत सं. 86/2013	पुलिस बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 03/2007 में बरती गई धांधली एवं अनियमितता के संबंध में श्री विश्वनाथ विद्यार्थी सुखदेवनगर , राँची का शिकायत ।	20.04.2013	गलत तरिके से चयनित पुलिस अभ्यर्थियों के विरूद्ध सन्हा संख्या– 80/2010 दर्ज कर लिया गया है । अतः परिवाद पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप की अवश्यकता नहीं है ।
3.	शिकायत सं. 96/2013	देवघर न्यायालय में समर्पित केस सं. 752/2012 एवं आरक्षी अधीक्षक को समर्पित आवेदन पर कार्रवई नहीं करने के संबंध में श्रीमती सत्यभामा देवी, देवसंघ, देवघर का शिकायत ।	29.04.2013	परिवादीनी द्वारा दर्ज परिवाद पूर्व में न्यायिक दण्डाधिकारी देवघर के न्यायालय में लम्बित है । अतः एक ही परिवाद के लिए दो अलग –अलग समानान्तर कार्यवाही नहीं हो सकती के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 76/2013	Secret Service Fund के आठ करोड़ रूपये के सरकारी राशि के गबन करने के संबंध में श्री विष्णु दयाल राम, पूर्व DGP एवं श्री राजीव कुमार पूर्व ADG विशेष शाख के विरूद्ध श्री बिरेन्द्र सिंह डोरण्डा, का शिकायत ।	04.04.2013	इसी केस से संबंधित पूर्व में परिवाद सं. 01/लोक(पुलिस)05/2009 मानीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक 10.09.2012 को खरिज कर दिया गया है। अतः सामान प्रकृति के शिकायत रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खरिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं.161/2013	धनबाद वाद न्यायालय में हक दावा वाद सं. 352/2010 लंबित रहने के संबंध में श्रीमती किरण देवी का शिकायत ।	27.04.2013	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत वाद को निरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 173/2013	सूचना आयोग द्वारा गुमराहपूर्ण तथा विलंब से सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में श्री सुरेन्द्र कुमार महतो रामगढ़ का शिकायत ।	27.04.2013	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस प्रकार के श्किायत से संबंधित निराकरण उपलब्ध है । अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इस पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं 111/2013	झारखण्ड ग्रामीण बैंक, बरियाडीह शाखा, कोडरमा द्वारा स्वीकृत ऋण को माफ कराये जाने के संबंध में नासिर अली मरकच्चो कोडरमा का शिकायत ।	27.04.2013	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत वाद को खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 816/2013	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उलंघन के संबंध में युगल महतो धनबाद का शिकायत ।	30.04.2013	शिकायत पत्र के अनुलग्नक के अनुसार शिकायत की जांच सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा कराई जा रही है । अतः शिकायत पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नही है ।
9.	शिकायत सं. 108/2013	ATM से गलत तरिके से पैसा निकाल लिये जाने के संबंध में श्री जनक प्रसाद सिंह थरपखना राँची का शिकायत ।	27.04.2013	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । शिकायतकर्त्ता को सुझाव दिया जाता है कि उन्हे अपीलीय न्यायालय में अपील दायर कर इसका समाधान प्राप्त करना चाहिए ।

10.	शिकायत सं. 87/2013	श्री देवव्रत दासगुप्ता, सहायक प्राध्यापक MGM को प्रोन्नति न देने के संबंध में पत्नि श्रीमती कुन्ताला दासगुप्ता, मानगो, जमशेदपुर से प्राप्त शिकायत ।	04.04.2013	शिकायत कर्त्ता के पति द्वारा पूर्व में ही माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दाखिल किया गया है। एक साथ दो फोरम पर एक ही वाद के लिए कार्रवाई नहीं हो सकती। उक्त के आलोक मे परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
11.	शिकायत सं.30/2013	एडवोकेट के भ्रष्ट एवं गैर जिम्मेदार रवैया के संबंध में श्री अनन्त कुमार कश्यप, हजारीबाग का शिकायत ।	09.04.2013	शिकायत कर्त्ता एक वकील के विरूद्ध आरोप लगाया है, जो लोक सेवक के दायरे में नहीं आता है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
12.	शिकायत सं.667/2012	खैरबनी ग्राम ,सारठ देवघर में सरकारी योजनाओं में व्याप्त अनियमितता के संबंध में कृष्णानंद झा का शिकायत ।	04.04.2013	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायतकर्त्ता द्वारा परिवाद की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 614/2012	श्री हरि भगत द्वारा सुखी संपन्न होने के बाद भी अधिकारीयों के मिली भगत से BPL योजना का लाभ लेने के संबंध में श्री संजय मुण्डा रामगढ़ का शिकायत ।	29.04.2013	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायतकर्त्ता द्वारा परिवाद की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 151/13	लोहरदगा में अवैद्य शिक्षक नियुक्ति एवं उनके द्वारा सरकारी राशि का गबन के संबंध में लक्ष्मण उराँव सेन्हा का शिकायत ।	25.04.2013	शिकायत से संबंधित याचिका का निष्पादन माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में 1991 में किया जा चूका है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
15.	शिकायत सं. 85/13	राजकीय मध्य विद्यालय सेक्टर 2 सी बोकारो की शिक्षिका अनुजा हेरेन्ज को गलत वेतन भुगतान किये जाने के संबध में श्री संजय कुमार झा बोकोरो का शिकायत ।	29.04.2013	शिकायत से संबंधित वाद बोकारो न्यायालय में लंबित रहने के कारण शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
16.	शिकायत सं. 73/2013	झारखण्ड विधान सभा राँची के एक सेवानिवृत प्रभारी सचिव पर लगे झूठे आरोप की जांच करने के संबंध में श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव, हटिया, राँची का शिकायत ।	04.04.2013	परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 64/2013	चतुर्थ सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परीक्षाफल में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में मो0 फैजुर्रहमान, राज्य पुस्तकालय, राँची का शिकायत ।	04.04.2013	परिवाद झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विरूद्ध किया गया जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 21(1) के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

18.	शिकायत सं. 66/2013	श्री शैलेन्द्र कुमार, फर्मासिस्ट, आई0 जी0 कॉलोनी स्टॉफ अस्पताल, डोरण्डा राँची द्वारा अकूत सम्पति अर्जित किये जाने के संबंध में श्री इन्दु नगदा का शिकायत ।	04.04.2013	परिवादी का पता नहीं रहने के कारण तथ सामान्य प्रकृति के शिकायत रहने तथा अनिवार्य शपथ पत्र एवं कोर्ट फी नहीं रहने के कारण शिकायत पत्र को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज का दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 81/2013	अवैद्य जमाबंदी के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में श्री सौरभ पोद्दार अपर बाजार राँची का शिकायत ।	04.04.2013	शिकायत के सभी तथ्यों से यह पता चलता है कि यह परिवाद परिवादी तथा उनके सबंधियों के बीच पैतृक जमीन के कब्जा से संबंधित है तथा यह वाद सक्षम न्यायालय में लंबित भी है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
20.	शिकायत सं. 83/2013	श्री गणेश मिश्रा , आई. पी. एस. अधिकारी द्वारा पद का दुरूपयोग कर जमीन कब्जा करने के संबंध में श्री टी, देवगम बिरसा नगर, जमशेदपुर का शिकायत ।	04.04.2013	शिकायत के सभी तथ्यों से यह पता चलता है कि विवादित भूमि का निबंधन आनाबाद बिहार सरकार के नाम से है जिस पर सोनामी खलखो का अवैद्य कब्जा है। अतः यह कि विवादित भूमि सोनामी खलखो का रैयति भूमि है सथापित नहीं होता है तथा श्री गणेश मिश्रा , आई. पी. एस. अधिकारी के उपर लगाये आरोप निराधार है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 155/13	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा पारित आदेश का उलंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा संस्थापक सचिव सिटिजन कांउसिल ऑफ इण्डिया बोकारो का शिकायत ।	09.04.2013	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची द्वारा रिट पिटिशन 572/02 में परित आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है तो परिवादी को इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में ही इसका निराकरण उपलब्ध है तथा इसका लाभ लेना चाहिए । अतः परिवाद को इस आश्य के साथ माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।
22.	शिकायत सं. 374/12	अंचलाधिकारी चास द्वारा दाखिल खरिज नहीं करने के संबंध में श्री बिरेन्द्र प्रसाद सिंह बोकारो का परिवाद ।	09.04.2013	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायतकर्त्ता द्वारा परिवाद की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।